न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान शौकत अली बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 173 / 2024

निर्णय दिनांक ......16/06/25......

शौकत अली पुत्र गफूर खां जाति कायमखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 337 नया के खसरा सं. 870 तादादी 18.8790 हैक्ट. के नाम 6384/37325 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में रोही सात्यूं तहसील तारानगर में वादी का नाम कम्प्यूटर की त्रुटि से वर्तमान राजस्व जमाबंदी मे गलत दर्ज हो गया। जो कि प्रार्थी को जमाबंदी निकलवाने से पता चला तो उसके बाद वादी अपना नाम सही नाम शौकत अली करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन होता है तथा प्रार्थी को केसीसी ऋण, खाद–बीज व अनुदान मिलने में भारी परेशानी हो रही है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी का सभी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार कार्ड व बैंक पासबुक में सही नाम शौकत अली पुत्र गफूर खां है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 337 नया के खसरा सं. 870 तादादी 18.8790 हैक्ट. के नाम 6384/37325 हिस्सा में वादी का नाम शौकत अली पुत्र गफूर खां किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से नकारात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थी का नाम श्योकत अली पुत्र गफूर जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे सही रखा जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

प्रार्थी की ओर से सहखातेदार इनायत खां, यासिन, जैतून, जाकिर पुत्र पुत्रियान गफूर खां मैनाबानो पत्नी यासिन खां जाति कयामखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर के शपथ पत्र दिनांक 08.05.2025 को प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य प्रार्थी में गवाह इनायत खां, पी.डब्लू. 01, गवाह जाकिर पी.डब्लू. 02 तथा गवाह साबिर पी.डब्लू. 03 के शपथ पत्र पेश किये गयें। उक्त गवाहों के बयान लेख्यबद्ध किये गये। साक्ष्य अप्रार्थी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार कार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम शौकत अली पुत्र गफूर खां पाया जाता है। मौखिक साक्ष्य प्रार्थी बयान पी.डब्लू. 01 तथा बयान पी.डब्लू. 02 जो विवादित भूमि के सह खातेदार है से भी प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है।

वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 337 नया के खसरा सं. 870 तादादी 18.8790 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **श्योकत अली पुत्र गफूरखां Delete** कर इसके स्थान पर **शौकत अली पुत्र गफूर खां** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......16/06/25...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)